उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

संख्या यू0 ओ0 172/61–98/301/1–92

लखनऊ, दिनांक 5 दिसम्बर, 1998

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 1998

भाग-एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली, 1998 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (लिपिक वर्गीय) सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से है,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-क के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया जाय;

(च) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा से है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग-दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा में सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है :—

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	प्रवर वर्ग सहायक	1	11	12
2	अवर वर्ग सहायक	—	16	16
3	वैयक्तिक सहायक	—	2	2

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :—

1—प्रवर वर्ग सहायक

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

2—वैयक्तिक सहायक

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

3—अवर वर्ग सहायक

(एक) सत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) तीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिक और टंककों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :—

पद	अर्हता
(1) प्रवर वर्ग सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(2) अवर वर्ग सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(3) वैयक्तिक सहायक	(एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (दो) हिन्दी आशुलिपिक और टंकण में क्रमशः अस्सी शब्द और पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। टिप्पणी—ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा जो अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान रखता हो।

अधिमानी अर्हताएं

9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो

आयु

10—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के सामने विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो और उससे अधिक आयु प्राप्त न की हो—

क्रम-संख्या	पद का नाम	आयु प्राप्त कर ली हो	आयु प्राप्त न कर ली हो
1	2	3	4
1	प्रवर वर्ग सहायक	21 वर्ष	32 वर्ष
2	अवर वर्ग सहायक	21 वर्ष	32 वर्ष
3	वैयक्तिक सहायक	18 वर्ष	32 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या विकास द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये वह पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों

से संकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो वे आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी ।

संयुक्त चयन सूची

17—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग-छ :-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे ।

परिवीक्षा

19—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

20—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा ।

ज्येष्ठता

21—किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग—सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान

22—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

पद का नाम	वेतन मान
1—प्रवर वर्ग सहायक	5500-175-9000
2—अवर वर्ग सहायक	4500-125-7000
3—वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जहां विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा,

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24—किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और तब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस नियम से परामर्श किया जायगा।

व्यावृत्ति

28—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

नूर मुहम्मद,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-172/LXI-98-301-1-92, dated December 5, 1998 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
NIRVACHAN VIBHAG

NOTIFICATION

No. U.O.-172/LXI-98-301-1-92
Lucknow Dated, December 5, 1998

In exercise of the powers conformed by the proviso to Article 309 of the Constitution and supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Chief Electoral Officer's Office (Ministerial) Service.

THE UTTAR PRADESH CHIEF ELECTORAL OFFICER'S OFFICE (MINISTERIAL) SERVICE RULES, 1998

PART-I—GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Chief Electoral Officer's Office (Ministerial) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Chief Electoral Officer's Office (Ministerial) Service is a non-gazetted service comprising group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ;

(*b*) 'appointing authority' means the Chief Electoral Officer ;

(*c*) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution ;

(*d*) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(*e*) 'Chief Electoral Officer' means an Officer of the Government so designated or nominated by Election Commission under section 13-A of the Representation of Peoples Act, 1950 ;

(*f*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(*g*) 'Governer' means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*h*) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*i*) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(*j*) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act ;

(*k*) 'service' means the Uttar Pradesh Chief Electoral Officer's Office Ministerial Service ;

(*l*) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(*m*) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calender year.

PART-II—CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:

Serial no.	Name of Posts	Number of Posts		Total
		Permanent	Temporary	
1	2	3	4	5
1	Upper Division Assistant	1	11	12
2	Lower Division Assistant	...	16	16
3	Personal Assistant	..	2	2

Provided that:—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ; or

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Sources of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources.

1. Upper Division Assistant	(*i*) Fifty per cent by direct recruitment through the Commission.
	(*ii*) Fifty per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Lower Division Assistants who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
2. Personal Assistant	By direct recruitment through the Commission.
3. Lower Division Assistant	(*i*) Seventy per cent by direct recruitment through the Commission.
	(*ii*) Thirty per cent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Junior Clerks and Typists who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government inforce at the time of recruitment.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(*a*) a citizen of India ; or

(*b*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (*b*) or (*c*) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (*b*) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (*c*) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to a post in the service must possess the following qualifications:

Post	*Qualification*
(1) Upper Division Assistant	Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.
(2) Lower Division Assistant	Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.
(3) Personal Assistant	(*i*) Must have passed Intemediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.
	(*ii*) Must have minimum speed of 80 words and 25 words per minute in Hindi Shorthand and Typewriting respectively. A preference shall be given to a person who passed English shorthand and typewriting.

Preferential qualification

9. A candidate who has :

(1) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(2) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps., given preference in the matter of direct recruitment.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age and must not have attained the age more than the age specified against

the post in the table given below on the first day of July of the Calender year in which vacancies are advertised:-

Serial No.	Name of the Post	(must have attained the age of)	(must not have attained the age more than)
1	2	3	4
1	Upper Division Assistant	21 years	32 years
2	Lower Division Assistant	21 years	32 years
3	Personal Assistant	18 years	32 years

Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Schedaled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be reater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for deing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III, of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedur for direct recruitment

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall having regard to the need for securing the representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of

candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twentyfive percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttar Pradesh promotion by selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

Combined Select list

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of Candidates in order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointment are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combinad order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection, or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A Probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct are report to be satisfactory, and

(b) his integrity is certified,

(2) where, in accordance with the provisions of the Uttar pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring

that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII-PAY ETC

Scales of pay

22. (1) The Scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be detemined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :—

Name of post	Scale of pay
1. Upper Division Assistant	5500—175—9000
2. Lower Divisiou Assistant	4500—125—7000
3. Personal Assistant	5500—175—9000

Pay during probation

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Criterion for crossing efficiency bar

24. No person shall be allowed to cross the efficiency bar unless his work and conduct are reported to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectiy for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other motters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
NOOR MOHAMMAD,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—[illegible]